UPKU100052322025

**न्यायालय –न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर।**

**पीठासीन अधिकारी–(श्रीमती मिताली आलोक चौबे)– उ०प्र० न्यायिक सेवा– UP3722**

**परिवाद सं०–3526/2025**

**रामक्यास सिंह बनाम प्रभात रंजन तिवारी।**

धारा –138 NI Act

थाना – कसया, जनपद– कुशीनगर।

**18.07.2026**

पत्रावली पेश हुई। आवेदक/परिवादी **रामक्यास सिंह** द्वारा अपने प्रार्थनापत्र दिनांकित 03.07.2026 में इस आशय का कथन किया गया है कि, "हम पक्षकारों के बीच सुलह समझौता हो गया है। हम प्रार्थी को विपक्षी ने जो भी लेन देन किया गया था, वो रूपया सम्पूर्ण मिल गया है। कोई शेष रूपया पाना नहीं है। उक्त मुकदमा चलने से आपसी सम्बन्ध खराब होने की सम्भावना है। प्रार्थी मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में उक्त मुकदमा समाप्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि उक्त मुकदमा समाप्त करने की कृपा प्रदान करें।"

सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है, कि आवेदक/परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–138 NI Act का आरोप लगाते हुये परिवाद दाखिल किया गया। इस स्तर पर परिवादी द्वारा स्वयं न्यायालय उपस्थित आकर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि, "हम पक्षकारों में सुलह समझौता हो गया है। विपक्षी से जो भी रूपया पाना था, वो मिल गया है। अब कोई रूपया अभियुक्त से प्राप्त करना शेष नहीं है। अब कोई गवाही प्रस्तुत नहीं करना है औ न ही मुझे मुकदमा लड़ना है।" धारा–257 दं०प्र०सं० को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, कि **"यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अन्तिम आदेश पारित किये जाने के पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है, कि अभियुक्त के विरूद्ध या जहाँ एक से अधिक अभियुक्त हैं, वहाँ उन सब या उनमें से किसी के विरूद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिये पर्याप्त आधार है, तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा, और तब उस अभियुक्त को, जिसके विरूद्ध परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है, दोषमुक्त कर देगा।"**

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–257 के परिभाषा को ध्यात्वय रखते हुये

Digitally signed by MITALI SONKAR
Date: 2026.07.18 16:43:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जबकि परिवादी स्वयं द्वारा समक्ष न्यायालय उपस्थित आकर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, कि पक्षकारों के बीच सुलह समझौता हो गया है। परिवादी को विपक्षी से सम्पूर्ण रूपया मिल गया है। कोई रूपया पाना शेष नहीं है। उक्त मुकदमा चलने से आपसी सम्बन्ध खराब होने की सम्भावना है। परिवादी मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है। मुकदमा निस्तारित करने का आदेश दिये जाने की याचना की है। आवेदक/परिवादी **रामक्यास सिंह** का प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.07.2026 स्वीकार करते हुए परिवाद वापस लेने की अनुमति दिये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/परिवादी **रामक्यास सिंह** का प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.07.2026 स्वीकार किया जाता है। परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा– 257 दं०प्र०सं० के तहत वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। अभियुक्त **प्रभात रंजन तिवारी** को अपराध धारा – 138 NI Act से दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**(श्रीमती मिताली आलोक चौबे)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया, कुशीनगर।
**J.O. Code:–UP3722**